

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 3/2020-21

मो० इमरान।

वनाम

मो० ताहरूल एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह वाद दिनांक- 18.01.2021 को मो० इमरान, पिता- स्व० मो० जवीदुल्लाह, निवासी मौजा+पो०+थाना- मझगाँव, अंचल- मझगाँव, परगना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Suit for declaration of right title and interest of the plaintiff and the suit property described in schedule of the plaint में वर्णित भूमि के राजस्व थाना संख्या- 364, खाता संख्या- 53, प्लॉट संख्या- 447, रकवा- 0.10 डिसमिल recovery possession के लिए प्रतिवादी संख्या- 1. मो० ताहरूल, पिता- स्व० एस०के० फालील्ला, 2. अनियुल हक, पिता- स्व० जेनुल हक, 3. रीजवानुल हक, पिता- जैनुलहक, 4. गालीब हक, 5. एकरामुल हक, 6. जोमेन हक @ इवनुल हक, 7. सादीक हक, सभी का पिता- जैनुल हक, 8. मो० अब्दुल, पिता- एस०के०.... निवासी ग्राम+पो०+थाना+अंचल- मझगाँव के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। जिसके उपरान्त इस न्यायालय के पत्रांक- 02/न्या० दिनांक- 15.03.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, मझगाँव को नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। अंचल अधिकारी, मझगाँव के पत्रांक- 122 दिनांक- 13.04.2021 द्वारा तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 19.04.2021, 07.06.2021, 29.07.2021, 13.09.2021, 02.11.2021 तक स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा कोई पैरवी नहीं करने के कारण पुनः इस न्यायालय के पत्रांक- 57/न्या० दिनांक- 02.11.2021 द्वारा दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर देते हुए नोटिस भेजा गया। लेकिन निर्धारित तिथि- 25.11.2021, 23.12.2021 एवं 19.01.2022 को भी दोनों पक्षों की ओर से उपस्थिति नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि इस वाद में उभय पक्षों को कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"><i>lip</i> 21.01.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p style="text-align: center;"><i>lip</i> 21.01.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	